"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2 22 छत्तीसगढ़ गजट 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ दुर्ग तक. 114-009 2003 20 01 03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी 2008—पौष 21, शक 1929

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2007

क्रमांक एफ 1-7/2002/1-6 (7).—श्री बी. एम. टंडन, आयुक्त, कार्यालय विभागीय जांच आयुक्त मंत्रालय महानदी खंड रायपुर को शेट्टी कमीशन की अनुशंसाओं के प्रकाश में विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश दिनांक 31-10-2006 में उल्लेखित सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को दिनांक 14-08-2002 से राशि रुपये 100/- चिकित्सा भत्ता, राशि रुपये 1250/- गृह सहायक भत्ता एवं चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति प्रतिमाह भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. उपरोक्त पर होने वाला व्यय बजट की मांग-01-मुख्य लेखाशीर्ष-2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 105 विशेष जांच आयुक्त (6205) विभागीय जांच आयुक्त 01 वेतन भत्ते आदि के अंतर्गत विकलनीय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षेत्र सिंह, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2007

क्रमांक 1035/946/2007/1-8/स्था.—श्री ए. मिंज, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 17-10-2007 से 31-10-2007 तक 15 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. मिंज को अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2007

क्रमांक 1037/939/2007/1-8/स्था.—श्री सुनील विजयवर्गीय, सचिव के स्टाफ आफिसर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 28-11-2007 से 7-12-2007 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विजयवर्गीय को सचिव के स्टाफ आफिसर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो सचिव के स्टाफ आफिसर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2007

क्रमांक 1039/977/2007/1-8/स्था.—श्रीमती बिबियाना तिर्की, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 24-12-2007 से 29-12-2007 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती बिबियाना तिर्की को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बिबियाना तिर्की अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2007

क्रमांक 1041/980/2007/1-8/स्था.—श्री डी. के. माथुर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 17-12-2007 से 29-12-2007 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. माथुर को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

क्रमांक 1089/1014/2007/1 8/स्था.—श्री एम. एम. मिंज, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 26-12-2007 से 5 1-2008 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री एम. एम. मिंज के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री एन. के. भट्टर, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण) अपने कार्य के साथ साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एम. मिंज को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. एम. मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2007

क्रमांक 10809/4595/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री परमेश्वर साहू, अधिवक्ता, जिला कवीरधाम (कवर्धा) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए नियमित न्यायालय कवर्धा में लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

क्रमांक/3005/2052/15-1/2007.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2005-06 में आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2005 के परिणामों के आधार पर राज्य सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए अनुशासित निम्नलिखित उम्मीदवारों को कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष

की परिवीक्षा पर राज्य सिविल सेवा श्रेणी-2 में वेतनमान राशि रु. 8000-275-13500, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के पद पर नियुक्त करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कालम क्रमांक 3 में दर्शाए अनुसार पदस्थ किया जाता है :—

अनु.	नाम	पदस्थी स्थान
01.	श्री आशीष कुमार शर्मा, आत्मज श्री सीताराम शर्मा, हरिओम भवन, बावली कुंआ के सामने, मु. पो. रायगढ़, जिला-रायगढ़.	सहायक पंजीयक, (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जशपुर, जिला-जशपुर.
02.	श्रीमती मंजू महेन्द्र पाण्डेय आत्मज श्री अमृतलाल पाण्डेय, नंदु गैरेज के पीछे, तेलीपारा, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर.	सहायक पंजीयक, (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जांजगीर-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा.

2. उपरोक्त राज्य सिविल सेवा में नियुक्त किए गये परिवीक्षाधीन अधिकारियों की वरिष्ठता परिवीक्षा की अवधि में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, द्वारा अनुशंसित सूची के अनुसार निर्धारित होगी.

3. राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि राज्य की विभिन्न सेवाओं के ऐसे अधिकारियों के लिए जो लोक सेवा आयोग से चयनित हुए हैं, का एक संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित किया जावेगा. अपना उपस्थिति प्रतिवेदन 15 दिवस में समस्त अभिलेखों सहित पंजीयक कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नारायण सिंह, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2007

क्रमांक एफ 8-5/2007/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमि. चांपा के बायलर क्रमांक-एम. पी./4115 को दिनांक 12-01-2008 से 10-06-2008, एवं एम. पी./4300 को दिनांक 25-12-2007 से 23-05-2008 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय ब्रायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2007

क्रमांक एफ 8-13/2007/11/6.—इंडियन.बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लि., सिलतरा, रायपुर के बायलर क्रमांक-एम. आर./8588 को दिनांक 20-12-2007 से 19-04-2008 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2007

क्रमांक एफ 1-23/2004/11/(6).—राज्य शासन लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा सीधी भरती से बॉयलर निरीक्षक के पदों की पूर्ति के तहत चयनित निम्न अभ्यर्थियों को उनके गुणक्रमानुसार, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सेवा की सामान्य शर्तों पर बॉयलर निरीक्षक (गजपत्रित सेवा श्रेणी-दो) के पद पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500/- एवं समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते पर मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र के अंतर्गत नियुक्त कर वाष्पयंत्र निरीक्षकालय छत्तीसगढ़ रायपुर में पदस्थ करता है :—

क्र.	अभ्यर्थी एवं पिता का नाम एवं पता	जन्मतिथि	पंजीयन क्रमांक	वर्ग	चयन वर्ग
(1)	(2)		(3)		
3.	फणीन्द्र कुमार भोई, पिता-श्री सार्तिक राम, वासुदेव पारा पिथौरा, पो-पिथौरा, जिला-महासमुन्द छत्तीसगढ़ पिन कोड 493551.	07-12-1975	02	अ. ज. जा.	अ. ज. जा. (मुक्त)

2. आदेश जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर उन्हें अपने पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है.

4. यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है तथा अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किए जाने के अध्यधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति से संबंध होने का दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाई, जो की जा सकती है संबंधी कार्रवाई के अतिरिक्त, संबंधित की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2007

क्रमांक एफ 1-23/2004/11/(6).—राज्य शासन लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा सीधी भरती से बॉयलर निरीक्षक के पदों की पूर्ति के तहत चयनित निम्न अभ्यर्थियों को उनके गुणक्रमानुसार, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सेवा की सामान्य शर्तों पर बॉयलर निरीक्षक (राजपत्रित सेवा श्रेणी-दो) के पद पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500/- एवं समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते पर मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र के अंतर्गत नियुक्त कर वाष्पयंत्र निरीक्षकालय छत्तीसगढ़ रायपुर में पदस्थ करता है :—

सरल क्र. (1)	अभ्यर्थी एवं पिता का नाम एवं पता (2)	जन्मतिथि	पंजीयन क्रमांक (3)	वर्ग	चयन का वर्ग
1.	गुंजन शुक्ला, पिता- श्री शशि शुक्ला, "नंदबाग" मकान नं.-208, बाल्को-दर्री रोड, पालीटेक्नीक कालेज के पास, रूमगड़ा गांव, थाना बाल्को जिला कोरबा छत्तीसगढ़ पिन कोड 495684.	14-01-1981	17	अनारक्षित	अनारक्षित (मुक्त)
2.	उज्जवल गुप्ता, पिता- श्री शशि राज गुप्ता, C-228, सुनील मेडिकल के पास शैलेन्द्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड 492001.	26-06-1979	01	अनारक्षित	अनारक्षित (मुक्त)

2. आदेश जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर इन्हें अपने पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

खेल एवं युवा कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2007

क्रमांक एफ 10-1/2003/9. --खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एतद्द्वारा खेल संघ, संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु "विभागीय मान्यता एवं आर्थिक सहायता नियम 2007" बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—**

(1) यह नियम "विभागीय मान्यता एवं आर्थिक सहायता नियम 2007" कहलाएंगे.

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं**—इस नियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(क) राज्य से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य ;

(ख) विभाग से अभिप्रेत है खेल एवं युवा कल्याण विभाग ;

(ग) संचालनालय से अभिप्रेत है संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण ;

(घ) संचालक से अभिप्रेत है संचालक खेल एवं युवा कल्याण ;

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ से अभिप्रेत है एशियाई या विश्वस्तर के खेल महासंघ जिन्हें अपने कार्य क्षेत्र में, संबंधित खेल की प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु सक्षम संस्था द्वारा अधिकृत किया गया है, तथा राष्ट्रीय खेल महासंघ उसकी संलग्नता प्राप्त इकाई हो ;

(च) राष्ट्रीय खेल संघ से अभिप्रेत है राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित खेल का आयोजन करने हेतु भारतीय ओलम्पिक संघ या युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था.. यदि भारतीय ओलम्पिक संघ तथा भारत सरकार द्वारा अलग- अलग संघों को मान्यता प्रदान की गई हो तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से है ;

(छ) राज्य खेल संघ से अभिप्रेत है राष्ट्रीय खेल संघ की संलग्नता प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य इकाई ;

(ज) जिला खेल संघ से अभिप्रेत है राज्य खेल संघ की संलग्नता प्राप्त जिला स्तरीय इकाई ;

(झ) संस्था से अभिप्रेत है खेल गतिविधियों के संचालन के उद्देश्य से गठित तथा फर्म एवं सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था ;

(ञ) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से अभिप्रेत है ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जिसमें भारतीय दल को भाग लेने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमति/वित्तीय सहायता प्रदान की गई है तथा जिसमें भारतीय दल को संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा भाग लेने हेतु भेजा जा रहा है ;

(ट) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से अभिप्रेत है राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित उस प्रतियोगिता से है जिसका विजेता उस वर्ष के लिए अधिकृत तौर पर राष्ट्रीय विजेता कहलाता है ;

(ठ) जोनल एवं फेडरेशन कप प्रतियोगिता से तात्पर्य राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा पूरे देश को क्षेत्र में त्रिभाजित कर आयोजित की जाने वाली अधिकृत क्षेत्रीय प्रतियोगिता एवं फेडरेशन कप के नाम से आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता से है ;

(ड) राज्य चैम्पियनशिप से अभिप्रेत है राज्य खेल संघ द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित उस प्रतियोगिता से है जिसका विजेता उस वर्ष के लिए अधिकृत तौर पर राज्य विजेता कहलाता है ;

(ढ) सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता से अभिप्रेत है उस प्रतियोगिता से जिसमें भाग लेने हेतु आयु संबंधी किसी भी प्रकार की शर्तें न हो ;

(ण) सब जूनियर/जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा अपने खेल के लिए संबंधित वर्ग हेतु घोषित आयु सीमा के खिलाड़ियों के लिए आयोजित प्रतियोगिता ;

(त) मान्यता से अभिप्रेत है संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण एवं इसके अधीनस्थ जिला कार्यालयों द्वारा मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया के तहत संघ/संस्था को प्रदाय मान्यता ;

3. **संबंधित खेल**— जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित खेलों से संबंधित खेल संघ, खिलाड़ी एवं संबंधित व्यक्ति आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे.

(1) ओलम्पिक, एशियाड, राष्ट्रमण्डलीय खेल, राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित खेल. (उपरोक्त में सम्मिलित ऐसे खेलों को ही विचार में लिया जाएगा जिन पर प्राप्त होने वाला पदक संबंधित आयोजन की पदक तालिका में क्रम निर्धारण हेतु सम्मिलित किया जाता है.)

(2) ऐसे खेल जिन्हें भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा विश्वविद्यालय खेलों में सम्मिलित किया गया है.

(3) ऐसे खेल जिन्हें भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय आयोजन हेतु दिए जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए विचार क्षेत्र में लिया जाता है.

(4) ऐसे खेल जो उपरोक्त में से किसी भी कण्डिका में उल्लेखित विवरण में सम्मिलित नहीं है, लेकिन इस नियम के लागू होने की तिथि के पूर्व छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग से आर्थिक सहायता प्राप्त कर चुके हैं.

4. **उद्देश्य**—

(1) प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास, प्रोत्साहन एवं संवर्धन के लिए खेल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना. प्रदेश में खेल संस्थाओं को स्थापित कर, खेलों में जुड़े व्यक्तियों तथा उनके प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल संस्थाओं/संघो को विभागीय मान्यता प्रदान करना.

(2) उन खेलों को राज्य में प्रोत्साहित करना, जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सामूहिक खेल आयोजनों में सम्मिलित है तथा जिनके विजेता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाते हैं.

(3) राज्य में खेल संचालित करने हेतु ऐसे संस्थाओं को चिन्हित करना, जिनके माध्यम से राज्य के खिलाड़ी राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त आयोजनों में अधिकृत रूप से भाग ले सकें.

(4) राज्य के खेल संस्थाओं को विधि मान्य एवं व्यवस्थित रूप प्रदान करना तथा इसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ना; ताकि प्रत्येक खेल के विकास के लिए स्वयंसेवी रूप में वे अधिकाधिक समय दे सकें.

(5) राज्य में विकास खण्ड स्तर से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों, राज्य स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजन तथा खेल संघों की सामान्य गतिविधियों को प्रोत्साहन देना.

(6) राज्य में विभागीय बजट का इस प्रकार से उपयोग करना, जिससे राज्य के खिलाड़ी अधिकाधिक लाभ एवं सुविधा प्राप्त कर सकें.

(7) राज्य में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सभी जिलों का तथा जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सभी विकास खण्डों की भागीदारी हो तथा जिला स्तर पर क्लब संस्कृति को बढ़ावा मिले.

(8) राज्य के सुदूर अंचल एवं जिले के खिलाड़ी विशेषकर (आदिम जनजाति वर्ग के खिलाड़ी) जो अर्थाभाव या सुविधाओं के अभात्र में खेल की मुख्यधारा में जुड़ने से वंचित रह जाते हैं उन्हें जिला/राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देना.

5. **मान्यता—**

(1) राज्य में संचालित राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर के खेल संघों एवं अन्य खेल संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही निम्नांकित शर्तों की पूर्ति पश्चात दी जाएगी.

(2) खेल संघ/संस्था, खेल के विकास व संवर्धन के लिए गठित हो.

(3) खेल संघ/संस्था, रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत जीवित पंजीकृत होने चाहिए.

(4) संस्था की जिला/संभाग/राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भागीदारी हो.

(5) राज्य खेल संघ को मान्यता के लिए अपने राष्ट्रीय खेल फेडरेशन से संबद्ध होना आवश्यक होगा संबद्धता का अधिकृत पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा.

(6) जिला खेल संघ को मान्यता के लिए मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ से संबद्धता प्राप्त होना आवश्यक होगा तथा जिला स्तर से निम्न स्तर के खेल संघ एवं खेल संस्थाओं को मान्यता प्राप्त जिला खेल संघों/राज्य खेल संघों से संबंद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा..

(7) राज्य संघ के मामले में कम से कम 08 जिला इकाईयां संबद्ध होना आवश्यक होगी. इसी प्रकार जिला खेल संघ के मामले में कम से कम 05 इकाईयां संबद्ध होना चाहिए. उक्त 05 इकाईयों में कम से कम 03 विकासखण्डों को सम्मिलित कर बनाया जाना आवश्यक होगा.

(8) कोई भी व्यक्ति यदि एक से अधिक खेलों में राज्य स्तरीय संघ का अध्यक्ष या सचिव या कोषाध्यक्ष है तो उससे संबंधित किसी एक राज्य खेल संघ को पहले मान्यता दी जाएगी तथा उससे संबंधित दूसरे राज्य खेल संघ को तभी मान्यता दी जाएगी जब दूसरे राज्य खेल संघ द्वारा शासन से आर्थिक सहायता लिए बगैर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कम से कम दो पदक प्राप्त किए हो या छत्तीसगढ़ की ओर से खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु भारतीय दल में चयनित तीन खिलाड़ी तैयार करे हो.

(9) जिला खेल अधिकारी/विभागीय अधिकारी द्वारा संस्था के निरीक्षण के उपरांत उसकी अनुशंसा पर ही विभागीय मान्यता प्रदान की जा सकेगी.

(10) मान्यता हेतु निर्धारित प्रपत्र में वांछित जानकारी एवं दस्तावेजों के साथ आवेदन करना आवश्यक होगा, निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट अ में संलग्न है. संचालक को निर्धारित प्रपत्र में उल्लेखित वांछित जानकारी एवं दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य जानकारी एवं दस्तावेज संस्था से प्राप्त करने का अधिकार होगा.

(11) संस्था/संघ को आवेदन के साथ संस्था के वर्तमान पदाधिकारी/प्रबंधकारिणी की सूची एवं नियमावली रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी से अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.

(12) राज्य एवं जिला संघ का अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष राज्य में निवासरत होना चाहिए, अखिल भारतीय शासकीय सेवा या राज्य सेवा में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी जो संघ के किसी पद पर चयन के समय छत्तीसगढ़ में पदस्थ था लेकिन वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर अन्य राज्यों में पदस्थ है, उस पर, सिर्फ एक कार्यकाल के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी.

(13) प्रत्येक स्तर का संघ अपने संविधान में संचालनालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों के तहत संशोधन/पालन करने हेतु सहमत हो.

(14) विभागीय मान्यता प्राप्ति के पश्चात ही संघ/संस्था शासन से अनुदान प्राप्त की करने के लिए पात्र होंगे.

(15) विभाग द्वारा एक खेल में एक ही राज्य/जिला इकाई को मान्यता प्रदान की जावेगी, यदि एक ही खेल के दो या दो से अधिक राज्य/जिला इकाई द्वारा विभागीय मान्यता हेतु दावेदारी प्रस्तुत की जाती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय फेडरेशन/राज्य संघ द्वारा किसी एक संघ को संबद्धता प्रदान करने हेतु अनुशंसा करने के उपरांत ही मान्यता दी जाएंगी.

6. **मान्यता संबंधी संचालक के अधिकार**—संचालक मान्यता देने, उसे स्थगित करने के लिए सक्षम होंगे. मान्यता स्थगित या समाप्त करने के लिए साधारणतः संचालक द्वारा 21 दिवस का अवसर दिया जावेगा, ताकि संस्था अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके.

7. **निम्न कारणों से मान्यता समाप्त की जा सकेगी**—

(1) संस्था के वित्तीय अनियमितता तथा अविश्वसनीयता पर.

(2) संघ या संगठन द्वारा अखिल भारतीय फेडरेशन से समय-समय प्राप्त होने वाले अनुदेशों का पालन न होने पर.

(3) विभागीय अधिकारियों/अंकेक्षकों द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को परिशुद्धता तथा शीघ्रता से पालन न करने पर तथा विभाग द्वारा निर्धारित पंजियों तथा अभिलेखों को उचित ढंग से संधारित न करने पर.

(4) अपने नियमों, उप नियमों और संविधान का व्यवस्थित रीति से अनुसरण न करने पर.

(5) संचालनालय द्वारा मांगे जाने वाले विवरणों, प्रतिवेदनों एवं अन्य जानकारी उपलब्ध न कराए जाने पर.

(6) मान्यता संबंधी शर्तों के उल्लंघन होने पर.

8. **मान्यता समाप्ति के विरुद्ध अपील**—अधिकारों के अंतर्गत संचालक द्वारा यदि मान्यता समाप्त की जाती है, तो इसकी अपील, आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर प्रशासकीय विभाग को की जा सकेगी.

9. **आर्थिक सहायता हेतु आयु वर्ग**—खेल संघों को सीनियर, जूनियर एवं सबजूनियर वर्ग के लिए ही आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाएगी. शेष वर्गों के लिए खेल संघ स्वयं, व्यय वहन करेंगे, अंतर शालेय प्रतियोगिता आयोजन हेतु 17 वर्ष या कम तथा 17 वर्ष से अधिक 2 आयु समूह मान्य होंगे. जिन्हें क्रमशः जूनियर एवं सीनियर वर्ग लेख किया जाएगा.

10. **आर्थिक सहायता**—

(1) आवेदन की पात्रता-राज्य खेल संघ, जिला खेल संघ एवं पंजीकृत खेल संस्थाओं को निम्नांकित अ, ब, स स्तंभों में उल्लेखित गतिविधियों के लिए आवेदन की पात्रता होगी :—

(अ)	राज्य खेल संघ	(ब)	जिला खेल संघ	(स)	पंजीकृत खेल संस्थाएं
(1)	अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजन.	(1)	जिला स्तरीय चैम्पियनशिप आयोजन.	(1)	अखिल भारतीय आमंत्रण खेल प्रतियोगिता आयोजन. जिला स्तरीय अंतर शालेय प्रतियोगिता आयोजन.
(2)	राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजन.	(2)	अखिल भारतीय आमंत्रण खेल प्रतियोगिता आयोजन.	(2)	विकासखंड, तहसील स्तरीय इंटर क्लब, अंतर शालेय प्रतियोगिता आयोजन.
(3)	जोनल एवं फेडरेशन कप आयोजन.	(3)	जिला स्तरीय अंतर शालेय प्रतियोगगिता आयोजन.	(3)	सामान्य अनुदान.
(4)	राज्य चैम्पियनशिप आयोजन.	(4)	राज्य चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु यात्रा-व्यय.		
(5)	अखिल भारतीय, राज्य स्तरीय आमंत्रण/रेकिंग प्रतियोगिता आयोजन.	(5)	सामान्य अनुदान.		
(6)	राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजन.				

(7) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय.

(8) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय.

(9) सामान्य अनुदान.

(2) **आर्थिक सहायता एवं शर्तें :**—मान्यता प्राप्त खेल संघ/संस्थाओं को निम्नानुसार उल्लेखित शर्तों के अधीन आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता होगी.

(1) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजन हेतु आर्थिक सहायता अधिकतम रु. छः लाख. जिसमें पुरुष वर्ग के लिए अधिकतम तीन लाख एवं महिला वर्ग के लिए अधिकतम रुपये तीन लाख स्वीकृत किए जा सकेंगे.

(क) उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा चयन प्रक्रिया के उपरांत गठित भारतीय दल भाग ले रहा हो.

(ख) एक वित्तीय वर्ष में केवल एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाएगी. चैम्पियनशिप आयोजन की सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना के आधार पर आवंटन दिया जाएगा. विगत वर्ष जिस खेल के लिए स्वीकृति दी गई है वर्तमान में उससे दूसरे खेल को प्राथमिकता दी जाएगी.

(2) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता-पुरुष वर्ग के लिए अधिकतम रु. 1 लाख, महिला वर्ग के लिए अधिकतम रु. 1 लाख. इस प्रकार सम्मिलित रूप से अधिकतम रु. 2 लाख.

शर्तें:- (1) एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजन हेतु राज्य खेल संघों को आर्थिक सहायता दी जा सकेगी. तीन से अधिक राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजन की सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना के आधार पर आवंटन दिया जावेगा. विगत वर्ष जिस खेल के लिए स्वीकृति दी गई है वर्तमान में उससे दूसरे खेल को प्राथमिकता दी जाएगी.

(2) एक खेल संघ को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रु. दो लाख की आर्थिक सहायता इस प्रायोजन हेतु प्राप्त करने की पात्रता होगी चाहे उसके द्वारा एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक राष्ट्रीय चैम्पियनशिप अलग-अलग आयु समूहों, लिंग समूहों में क्यों न किया जा रहा हो.

(3) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसका उपयोग करना संघ के लिए अनिवार्य होगा. यदि संघ ऐसा करने में असफल होता है, तो उसे प्रदाय की जाने वाली आर्थिक सहायता नियमों में उल्लेखित राशि का आधा होगी.

(3) राज्य चैम्पियनशिप हेतु आर्थिक सहायता-निम्नांकित अ, ब, स स्तम्भों में जो राशि कम हो वह राशि स्वीकृत की जाएगी.

	(अ)	(ब)	(स)
(1)	जब दस या अधिक जिलों के दल महिला एवं पुरुष वर्गों में भाग ले रहे हो, रु. पचास हजार.	पुरुष वर्ग में भाग लेने वाले जिलों की संख्या गुणा रु. एक हजार महिला वर्ग में भाग लेने वाले जिलों की संख्या गुणा रु. एक हजार चैम्पियनशिप में भाग लेने वाले पुरुष, महिला खिलाड़ी दल	राज्य चैम्पियनशिप के आयोजन हेतु संस्था द्वारा स्वयं के आय स्रोत से वहन की गई का 150 प्रतिशत.
(2)	जब दस से कम तथा सात या अधिक जिलों के दल महिला एवं		

(अ)	(ब)	(स)
पुरुष वर्गों के भाग ले रहे हों, तो रुपये चालीस हजार.	प्रबंधक, प्रशिक्षकों की संख्या गुणा रु. एक सौ उपरोक्त का कुल योग **टीप :—**	
(3) जब सात से कम तथा पांच से अधिक जिलों के दल महिला एवं पुरुष वर्गों में भाग ले रहे हों, तो रु. तीस हजार.	(1) राज्य चैम्पियनशिप में भाग लेने वाले जिलों (जिला दल) को ही गणना में लिया जाएगा जिला दल के अतिरिक्त अन्य इकाईयों एवं उससे संबंधित खिलाड़ी गणना में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे.	
(4) जब पांच जिलों के दल महिला एवं पुरुष वर्गों में भाग ले रहे हों, तो रु. बीस हजार.		
टीप :— (1) उपरोक्त उल्लेखित राशि का 50% पुरुष वर्ग के लिए तथा 50% महिला वर्ग के लिए प्रावधान किया गया है.	(2) यदि एक से अधिक वर्ग (सीनियर, जूनियर, सब जूनियर) की प्रतियोगिता एक ही मुख्यालय पर संयुक्त रूप से आयोजित हो रही हो तो जिलों की संख्या प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक-पृथक गणना नहीं की जाएगी. इसी प्रकार संयुक्त रूप से आयोजित प्रतियोगिता में यदि कोई खिलाड़ी एक से अधिक वर्गों में भाग ले रहा हो तो उसे गणना में केवल एक बार ही सम्मिलित किया जाएगा.	

(4) राज्य स्तरीय एवं आमंत्रण/रेकिंग प्रतियोगिता आयोजन हेतु आर्थिक सहायता एवं शर्तें :—

आर्थिक सहायता :— राज्य स्तरीय आमंत्रण/रैकिंग प्रतियोगिता आयोजन हेतु अधिकतम रु. तीस हजार.

शर्तें :-

(1) प्रत्येक खेल के लिए प्रत्येक वर्ग (आयु वर्ग तथा पुरुष/महिला वर्ग) हेतु एक आंमत्रण या रेकिंग प्रतियोगिता के आयोजन हेतु बजट उपलब्ध होने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी.

(2) राज्य के कम से कम पांच जिलों से दलों का भाग लेना अनिवार्य होगा.

(3) अनुदान राशि की गणना नियम 10.2 सी के अनुरूप की जा सकेगी.

(4) इन प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए कम से कम एक माह पूर्व संचालक से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा.

(5) जिला स्तरीय चैम्पियनशप आयोजन हेतु आर्थिक सहायता एवं शर्तें :—

आर्थिक सहायता :—जिला स्तरीय चैम्पियनशिप आयोजन हेतु पुरुष एवं महिला वर्ग दोनों को सम्मिलित रूप से अधिकतम रुपए बीस हजार या संस्था द्वारा अपने आय के स्रोत से किए गए व्यय का 150 प्रतिशत जो भी कम हो.

शर्तें :- जिला स्तरीय आयोजन हेतु अनुदान की पात्रता तभी होगी जब जिले में समाहित विकासखण्डों में से कम से कम तीस प्रतिशत विकासखण्डों से कम से कम पांच दल इसमें भाग ले रहे हों.

(6) अखिल भारतीय आमंत्रण खेल प्रतियोगिता आयोजन जोनल या फेडरेशन कप प्रतियोगिता आयोजन हेतु आर्थिक सहायता एवं शर्तें :—

आर्थिक सहायता :- अखिल भारतीय आमंत्रण खेल प्रतियोगिता आयोजन, जोनल या फेडरेशन कप प्रतियोगिता आयोजन हेतु रु. पचहत्तर हजार या आयोजक द्वारा अपने आए स्रोत से किए गए व्यय के बराबर राशि जो भी कम हो.

शर्तें :- अखिल भारतीय आमंत्रण/जोनल/फेडरेशन कप प्रतियोगिता आयोजन हेतु कम से कम 5 राज्य स्तरीय ईकाइयों या राज्यों से दलों का भाग लेना आवश्यक होगा. बजट उपलब्ध होने पर आर्थिक सहायता हेतु विचार किया जाएगा. इन प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए कम से कम तीन माह पूर्व संचालक से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा.

(7) (1) जिला स्तरीय अंतरशालेय प्रतियोगिता आयोजन हेतु आर्थिक सहायता एवं शर्तें :—

आर्थिक सहायता :- जिला स्तरीय अंतरशालेय प्रतियोगिता आयोजन हेतु पुरुष एवं महिला वर्ग सम्मिलित रूप से रु. पच्चीस हजार.

शर्तें :-
(अ) विद्यालय में अध्ययनरत खिलाड़ी ही भाग लेंगे.
(ब) कम से कम दस विद्यालयों के दलों का भाग लेना आवश्यक होगा.
(स) जिले के कुल विकासखण्डों के 30% विकासखण्डों के विद्यालयों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी.

(2) विकासखण्ड/तहसील स्तरीय, इंटर क्लब, अंतरशालेय प्रतियोगिता आयोजन हेतु आर्थिक सहायता एवं शर्तें :-

आर्थिक सहायता :- विकासखण्ड/तहसील स्तरीय इंटर क्लब, अंतरशालेय प्रतियोगिता आयोजन हेतु महिला एवं पुरुष वर्ग के लिए सम्मिलित रूप से रुपए पंद्रह हजार.

शर्तें :- विकासखण्ड तहसील स्तरीय इंटर क्लब, अंतरशालेय प्रतियोगिता हेतु स्थानीय दलों को सम्मिलित किया जा सकेगा कम से कम 10 दलों का भाग लेना आवश्यक होगा.

(3) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता एवं शर्तें :—

आर्थिक सहायता :-अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु विदेश जाने के लिए दल के प्रस्थान मुख्यालय से आयोजन मुख्यालय तक जाने एवं वापसी हेतु इकॉनामी दर्जे में हवाई यात्रा का न्यूनतम किराया या अन्य साधनों से की गई यात्रा का वास्तविक किराया दोनों में से जो भी कम हो आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी.

शर्तें :-

(1) राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु गठित भारतीय दल में सम्मिलित राज्य के खिलाड़ी/मुख्य प्रशिक्षक/प्रबंधक के लिए यह सहायता देय होगी.

(2) यह आर्थिक सहायता उन प्रकरणों में स्वीकृत की जा सकेगी जिनके लिए भारत सरकार/ भारतीय खेल प्राधिकरण/राष्ट्रीय खेल संघ अथवा नियोक्ता से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है या इनके द्वारा उपरोक्त प्रावधान से कम राशि प्रदान की जा रही है.

(3) आमंत्रण अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए यह सहायता स्वीकृत नहीं की जाएगी.

(4) एक खिलाड़ी को उसके जीवनकाल में प्रत्येक आयु वर्ग के लिए दो बार ही यह सहायता देय होगी.

(8) (1) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/राष्ट्रीय खेल एवं राज्य चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय की आर्थिक सहायता :

(क) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/राष्ट्रीय खेल एवं राज्य चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु प्रस्थान मुख्यालय से आयोजन मुख्यालय जाने एवं वापसी का रियायती दर पर स्लीपर क्लास का वास्तविक रेल किराया या मोटर वाहन का वास्तविक किराया दोनों में से जो भी कम हो. यदि रेल यात्रा के साथ पानी जहाज या मोटर वाहन से यात्रा आवश्यक हो तो रेल किराया के साथ संबंधित उक्त यात्रा साधनों का वास्तविक किराया भी देय होगा तथा किराया के अतिरिक्त प्रस्थान मुख्यालय से गंतव्य मुख्यालय की यात्रा अवधि एवं वापसी यात्रा अवधि के लिए प्रति 24 घंटे हेतु रु. सौ प्रति सदस्य के मान से देय होगा.

नोट :- राज्य चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु यदि रेल्वे रियायती टिकट उपलब्ध न हो तो पैसेंजर रेलगाड़ी का वास्तविक किराया देय होगा.

(ख) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप एवं राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के पूर्व राज्य दल के अधिकतम 21 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हेतु आर्थिक सहायता देय होगी जिसकी गणना दल के प्रति सदस्य रुपए सौ प्रतिदिन के मान से की जाएगी.

(2) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/राष्ट्रीय खेल एवं राज्य चैम्पियनशिप में भाग लेने तथा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप एवं राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के पूर्व प्रशिक्षण शिविर हेतु शर्तें :-

राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/राष्ट्रीय खेल एवं राज्य चैम्पियनशिप में भाग लेने तथा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप एवं राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के पूर्व प्रशिक्षण शिविर हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन आर्थिक सहायता की पात्रता होगी.

(अ) संबंधित खेल के नियमों के अनुरूप एक दल में खिलाड़ियों, प्रशिक्षक एवं प्रबंधक की निर्धारित संख्या को दल का सदस्य माना जाएगा.

(ब) दल के प्रबंधक का मनोनयन खेल संघ द्वारा किया जाएगा जिसकी सूचना विभाग को दिया जाना अनिवार्य रहेगा.

(स) दल के चयन हेतु गठित चयन समिति में संचालनालय या उसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा मनोनीत एक सदस्य रखा जाएगा.

(द) प्रशिक्षण शिविर हेतु संचालनालय पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा तथा पर्यवेक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आर्थिक सहायता स्वीकृत होगी.

(इ) प्रशिक्षण शिविर का अन्य व्यय संबंधित खेल संघ वहन करेंगे.

(9) **सामान्य अनुदान :-** खेल संघ एवं संस्थाओं को सामान्य गतिविधियों हेतु निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता होगी :-

(1) **आर्थिक सहायता :-** (अ) राज्य स्तरीय खेल संघ - रु. तीस हजार प्रतिवर्ष
(ब) जिला स्तरीय खेल संघ - रु. दस हजार प्रतिवर्ष
(स) पंजीकृत खेल संस्थाएं - रु. पांच हजार प्रतिवर्ष

(2) शर्तें :- (अ) राज्य एवं जिला खेल संघों को इसकी पात्रता तभी होगी जब संबंधित खेल में सीनियर वर्ग तथा उससे निम्न वर्ग की सभी प्रतियोगिता का आयोजन विगत वर्ष किया जाकर राष्ट्रीय आयोजन में दल भेजा गया हो तथा वर्तमान वर्ष में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा रही हो.

(ब) पंजीकृत खेल संस्थाओं को इसकी पात्रता तभी होगी जब उनके द्वारा किसी खेल विशेष का नियमित अभ्यास केन्द्र संचालित किया जा रहा हो तथा नियम 10.1 (स) से संबंधित किसी प्रतियोगिता का आयोजन विगत वर्ष किया गया हो.

(स) सामान्य अनुदान के अंतर्गत दी गई आर्थिक सहायता की राशि का उपयोग खेल संघ/संस्थाएं अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्यों के लिए उन मदों में व्यय हेतु कर सकेंगी जिसके लिए संघ/संस्था द्वारा पृथक से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की गई है.

(10) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के पूर्व राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर हेतु आर्थिक सहायता एवं शर्तें :-

आर्थिक सहायता :-अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के पूर्व राष्ट्रीय स्तर के, अधिकतम 21 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हेतु आर्थिक सहायता देय होगी जिसकी गणना प्रति सदस्य रुपए सौ प्रति दिन के मान से की जाएगी.

शर्तें :-

(1) राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण शिविर उस शिविर को मान्य किया जाएगा जिसे राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा स्वयं या राष्ट्रीय खेल संघ के निर्देश पर राज्य खेल संघ द्वारा राज्य में आयोजित किया गया है एवं उस शिविर के माध्यम से किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु भारतीय दल का चयन किए जाने की प्रक्रिया या चरणबद्ध प्रक्रिया सम्पन्न की जा रही हो.

(2) शिविर हेतु आर्थिक सहायता तभी देय होगी जब कि शिविर राज्य में आयोजित हो रहा हो तथा उसमें छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा चयनित कर सम्मिलित किए गए हों.

(3) आर्थिक सहायता हेतु शिविरार्थियों की निम्नांकित अ एवं ब में से जो भी संख्या कम हो उसे गणना में लिया जाएगा.

अ. प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा शिविर में भाग लेने हेतु चयनित एवं घोषित खिलाड़ी प्रशिक्षक एवं मैनेजर की संख्या.

ब. संबंधित खेल के नियमों के अनुरूप एक दल में खिलाड़ियों प्रशिक्षक एवं प्रबंधक की निर्धारित संख्या का दुगना.

(4) प्रत्येक खेल विधा के लिए एक वित्तीय वर्ष में केवल एक प्रशिक्षण शिविर हेतु आर्थिक सहायता का आवेदन विचारार्थ स्वीकार किया जाएगा.

11. **आवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि —**

(1)	अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजन	-	एक वर्ष पूर्व
(2)	राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजन	-	छः माह पूर्व
(3)	राज्य चैम्पियनशिप आयोजन	-	45 दिवस पूर्व
(4)	जिला स्तरीय चैम्पियनशिप, अखिल भारतीय आमंत्रण, जोनल फेडरेशन कप प्रतियोगिता, जिला स्तरीय अंतरशालेय प्रतियोगिता, विकासखण्ड/तहसील स्तरीय इंटर क्लब, अंतरशालेय प्रतियोगिता आयोजन हेतु.	-	30 दिवस पूर्व
(5)	अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु राष्ट्रीय राज्य चैम्पियनशिप एवं राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के पूर्व प्रशिक्षण शिविर आयोजन हेतु.	-	30 दिवस पूर्व

(6) सामान्य अनुदान - 15 अप्रैल से 30 जून के मध्य

12. **आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया** — मान्यता प्राप्त खेल संघ एवं संस्थाएं, निर्धारित प्रपत्र (जो कि परिशिष्ट ब में संलग्न है) में निर्धारित समय पूर्व अपने जिले में खेल विभाग के जिला कार्यालय में तीन प्रतियों पर पूर्णरूप से भरा हुआ आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करेंगे.

13. **स्वीकृति की प्रक्रिया** —

(1) खेल संघ, खेल संस्थाओं को विभाग द्वारा नियुक्त निरीक्षण अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आधार पर तीन वित्तीय वर्ष (तीन वर्ष) के लिए मान्यता प्रदान की जाएगी. जिसका आगामी चतुर्थ वित्तीय वर्ष में आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी प्रस्तुत कर 30 जून तक नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा.

(2) शासन द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अनुपालन में आर्थिक सहायता की स्वीकृति विभाग प्रमुख या प्रशासकीय विभाग द्वारा की जाएगी.

(3) सामान्य अनुदान की स्वीकृति एवं भुगतान, पात्रता होने पर अग्रिम रूप से किया जाएगा.

(4) आयोजनों के लिए निर्धारित समय पर समस्त आवश्यक जानकारियों एवं दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर दिए जाने की स्थिति में आयोजन पूर्व संस्था को प्राप्त होने वाली कुल अनुमानित आर्थिक सहायता राशि की सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाकर उस राशि का पचास प्रतिशत भाग अग्रिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा. शेष आर्थिक सहायता की स्वीकृति आयोजन पश्चात वास्तविक गणना के आधार पर स्वीकृति की जाएगी.

(5) प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता की सैद्धांतिक स्वीकृति आयोजन पूर्व प्रदान कर उसकी 90 प्रतिशत आर्थिक सहायता अग्रिम रूप से प्रदान की जाएगी शेष सहायता वास्तविक हिसाब प्रस्तुत करने पर भुगतान की जाएगी.

14. **सामान्य नियम** —

(1) संस्था का व्यय उसकी आय से अधिक होने की स्थिति में ही आर्थिक सहायता दी जाएगी.

(2) प्रत्येक संस्था को अनुदान प्राप्ति के दो माह के अंदर उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तक उसके अन्य आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.

(3) संस्था को अपना वार्षिक अंकेक्षण चार्टर्डएकाउंटेंट से कराकर अनिवार्य रूप से विभाग को प्रस्तुत करना होगा.

(4) प्राप्त आर्थिक सहायता को निर्धारित समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं विभागीय/महालेखाकार द्वारा किए जाने वाले अंकेक्षण के लिए निर्धारित तिथि में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल होने पर आगामी अवसरों के लिए पात्रता होने के बावजूद भी संस्था को आयोजन पूर्व अनुदान का भुगतान रोका जा सकता है.

(5) संस्था का निरीक्षण विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा.

15. **निरसन** — इस नियम के प्रभावशील होते ही इससे संबंधित समस्त प्रचलित नियम, आज्ञाएं और विज्ञप्तियां निरस्त हो जाएंगी लेकिन उनके अधीन दी गई स्वीकृतियां इस नियम के अधीन दी गई या किए गए समझे जाएंगे.

16. **व्याख्या/संशोधन** —

(1) इन नियमों में अंतरनिहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा की गई व्याख्या अंतिम मानी जाएगी तथा ऐसे मामले जो नियमों में समाहित नहीं है का निराकरण प्रशासकीय विभाग कर सकेगा.

(2) विभाग इन नियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन, शिथिलीकरण करने हेतु सक्षम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

परिशिष्ट-अ

(नियम 5 का उपनियम 10)

क्रमांक .... दिनांक ....

प्रति,

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़, रायपुर.
द्वारा उचित माध्यम.

विषय : विभागीय मान्यता/मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन.

महोदय,

विषयांतर्गत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत है.

(1) संस्था का नाम ....

(2) पंजीयक फर्म एवं सोसायटी से पंजीयन क्रमांक, दिनांक तथा मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में विगत वर्ष की मान्यता/नवीनीकरण का क्रमांक दिनांक (संस्था का पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं पंजीयक से अभिप्रमाणित संस्था के संविधान की छायाप्रति या विगत वर्ष के मान्यता पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)..

(3) संस्था के कार्यालय का पूर्ण डाक पता ....

(4) संलग्न इकाइयों की संख्या (संलग्न इकाइयों का पूर्ण नाम, उनके अध्यक्ष, सचिव का पूर्ण पता पृथक् से संलग्न करें) राज्य खेल संघों के मामले में केवल जिला संघों की जानकारी दें. जिला संघ संबद्ध क्रीड़ा मण्डल. की जानकारी दें. पंजीकृत संस्थाओं के लिए यह कण्डिका आवश्यक नहीं है.

क्र.	संलग्न जिला संघ (राज्य संघ के लिए) क्रीड़ा मण्डल (जिला संघ के लिए)	अध्यक्ष का नाम, पता एवं दूरभाष क्रमांक	सचिव का नाम, पता एवं दूरभाष क्रमांक	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता एवं दूरभाष क्रमांक

(5) संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का नाम, पता एवं दूरभाष क्रमांक एवं नमूना हस्ताक्षर

अध्यक्ष-

नाम..

पत्र व्यवहार का पता/दूरभाष क्र. ....

नमूना हस्ताक्षर-(1) .... (2) ....

सचिव

नाम ....

पत्र व्यवहार का पता/दूरभाष क्र. ....

नमूना हस्ताक्षर- (1) .... (2) ....

कोषाध्यक्ष-

नाम ....

पत्र व्यवहार का पता/दूरभाष क्र. ....

नमूना हस्ताक्षर- (1) .... (2) ....

(6) खेल का नाम जिससे संस्था संबंधित है. यह भी लेख करें कि क्या उक्त खेल, ओलम्पिक, एशियाड, राष्ट्रमण्डलीय खेल, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालयीन खेलों में सम्मिलित है. क्या इस खेल को भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजन हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त होती है या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसे पूर्व में आर्थिक सहायता प्राप्त हो चुकी है.

....

(7) संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष क्या किसी दूसरे खेल के राज्य संघ में उपरोक्त में से किसी पद के पदाधिकारी है यदि हां तो संबंधित संस्था एवं पदाधिकारी के बारे में जानकारी दें. (जिला तथा पंजीकृत संस्थाओं के लिए यह जानकारी आवश्यक नहीं है)

....

(8) संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष क्या राज्य के बाहर निवासरत हैं यदि हां तो जानकारी दें.

....

(9) निम्नांकित पृथक से संलग्न करें.

(अ) राज्य/जिला खेल संघों के मामले में उच्च स्तर के संघ से संलग्नता ....

(ब) संस्था के वर्तमान पदाधिकारी एवं उनका कार्यकाल (पंजीयक फर्म एवं सोसायटी से अभिप्रमाणित कराकर)

(स) विगत दो वर्षों में संस्था की सम्पादित खेल गतिविधियों का विवरण, यदि विगत वर्षों में संस्था को राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त हुआ है या संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किए गए हैं तो उसका विवरण.

(द) विगत वर्ष का आय व्यय का परीक्षित लेखा विवरण.

(इ) जिला खेल अधिकारी/विभागीय अधिकारी का निरीक्षण टीप.

....

घोषणा-पत्र

हम घोषणा करते हैं कि :-

(1) उपरोक्त विवरण सही है तथा यह संस्था किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेगी जिसका आधार राजनीति, धर्म या सम्प्रदाय हो.

(2) संस्था, शासन द्वारा निर्धारित नियमों तथा विभाग द्वारा भविष्य में लागू किए जाने वाले नियमों, निर्देशों तथा आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है तथा आवश्यकता होने पर शासन के दिशा निर्देशों के तहत अपने संविधान में परिवर्तन किया जाएगा.

(3) संस्था की आम सभा (वार्षिक बैठक) में विभाग के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाएगा.

(4) विभाग द्वारा संचालित खेल प्रशिक्षण केन्द्रों के खिलाड़ियों के लिए राज्य चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु विभाग लेख करें तो उन्हें एक दल के रूप में प्रवेश दिया जाएगा.

(5) खिलाड़ियों को उच्च स्तर की प्रतियोगिता में भेजने हेतु गठित चयन समिति में विभाग का एक प्रतिनिधि रखा जाएगा.

(6) संचालक द्वारा अन्य जानकारी एवं दस्तावेज यदि मांगे जाएंगे तो उन्हें प्रदाय किया जाएगा.

हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

कोषाध्यक्ष सचिव अध्यक्ष

परिशिष्ट-ब

(नियम 12)

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत करें)

क्रमांक .... दिनांक ....

प्रति,

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़, रायपुर.
द्वारा उचित माध्यम.

विषय : आर्थिक सहायता के लिए आवेदन.

महोदय,

निम्नांकित गतिविधि के लिए निर्धारित प्रपत्र में अनुदान आवेदन पत्र-प्रस्तुत है.

(1) संघ/संस्था का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, दूरभाष क्रमांक ....
....
....

(2) पंजीयक फर्म एवं सोसायटी से पंजीयन क्रमांक, दिनांक ....

(3) खेल एवं युवा कल्याण विभाग से मान्यता क्रमांक, दिनांक ....

(4) संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का पूर्ण नाम, निवास का पूर्ण पता एवं दूरभाष क्रमांक-

अध्यक्ष - ....
नाम ....
निवास का पता/दूरभाष क्रमांक ....

सचिव - ....
नाम ....
निवास का पता/दूरभाष क्रमांक ....

कोषाध्यक्ष- ....
नाम ....
निवास का पता/दूरभाष क्रमांक ....

(5) संस्था द्वारा विगत वर्ष प्राप्त किये गये अनुदान का विवरण, वर्ष .... के लिए

प्राप्त अनुदान का विषय	**प्राप्त अनुदान राशि**
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....

(प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न करें)

(6) चालू वर्ष में प्राप्त किये गये अनुदान का विवरण

प्राप्त अनुदान का विषय	**प्राप्त अनुदान राशि**
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....

(प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न करें)

(7) यदि अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/जोनल/फेडरेशन कप/अखिल भारतीय आमंत्रण खेल प्रतियोगिता हेतु अनुदान आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तो निम्नांकित जानकारी दें.

(अ) प्रतियोगिता का नाम ....
(ब) आयु वर्ग सीनियर/जूनियर/सब जूनियर (सही का निशान लगाएं)
(स) आयोजन स्थल ....
(द) आयोजन तिथि ....
(इ) केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि ....
(फ) राज्य शासन से अपेक्षित अनुदान राशि ....
(नियमों में उल्लेखित प्रावधान से ज्यादा नहीं लिखा जाय)
(ज) खिलाड़ियों की अनुमानित संख्या ....
(ह) भाग लेने वाले दलों की सूची (संलग्न करें)
(क) अनुमानित आय-व्यय विवरण (संलग्न करें)
(अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष किन्हीं दो से हस्ताक्षरित)
(ख) राष्ट्रीय संघ का अधिकार/आवंटन पत्र (संलग्न करें)

(8) यदि राज्य चैम्पियनशिप/राज्य स्तरीय आमंत्रण/राज्य रेकिंग, जिला स्तरीय चैम्पियनशिप, जिला स्तरीय अन्तरशालेय प्रतियोगिता या विकास खण्ड/तहसील स्तरीय इन्टर क्लब, अन्तरशालेय प्रतियोगिता आयोजन हेतु अनुदान आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा हो तो निम्नांकित जानकारी दें.

(अ) प्रतियोगिता का नाम ....
(ब) आयु वर्ग सीनियर/जूनियर/सब जूनियर (सही का निशान लगाएं)
(स) आयोजन स्थल ....
(द) आयोजन तिथि ....
(इ) पुरुष वर्ग में भाग लेने वाले दल की अनुमानित संख्या ....
(फ) महिला वर्ग में भाग लेने वाले दल की अनुमानित संख्या ....
(ग) प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पुरुष एवं महिला खिलाड़ी, दल प्रबंधक एवं प्रशिक्षकों की कुल अनुमानित संख्या ....
(ह) आयोजन में शासकीय अनुदान के अतिरिक्त स्वयं के आय स्रोत से संस्था द्वारा कितनी राशि व्यय किया जाना संभावित है. ....
(ज) आयोजन का कुल अनुमानित आय-व्यय विवरण ....
(अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष किन्हीं दो से हस्ताक्षरित)

(**टीप :-** राज्य चैम्पियनशिप आयोजन हेतु प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पुरुष एवं महिला वर्ग में केवल जिला दल की संख्या बताई जाए तथा जिला दल के नामों की सूची तथा उन दलों से भाग लेने वाले पुरुष एवं महिला खिलाड़ी प्रबंधक एवं प्रशिक्षकों की संख्या पृथक से संलग्न करें. शेष आयोजन हेतु भाग लेने वाले दलों की सूची तथा उन दलों से भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या पृथक से संलग्न करें.)

(9) यदि राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के पूर्व, प्रशिक्षण शिविर के लिए अनुदान आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, तो निम्नांकित जानकारी दें.

(अ) चैम्पियनशिप का नाम ....

(ब) आयोजन स्थल, आयोजन तिथि ....

(स) शिविर-आयोजन स्थल एवं पूर्ण पता ....

(द) आयोजन तिथि ....

(इ) खेल के नियमों के अनुसार एक दल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या. ....

(फ) शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, प्रबंधकों की वास्तविक संख्या. ....
(अनुमानित खिलाड़ियों के नाम की सूची पता सहित संलग्न करें)

(ह) अनुमानित कुल व्यय ....
(अनुमानित आय-व्यय विवरण पृथक से संलग्न करें)

(10) यदि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राज्य चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय के लिए अनुदान आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, तो निम्नांकित जानकारी दें.

(अ) प्रतियोगिता का नाम ....

(ब) आयोजन तिथि ....

(स) आयोजन स्थल ....

(द) भाग लेने वाले खिलाड़ियों, मैनेजर, प्रशिक्षक की कुल संख्या. ....
(संबंधितों का पूर्ण डाक पता सहित सूची संलग्न करें)

(इ) प्रतियोगिता से संबंधित उच्च स्तर के संघ द्वारा जारी सूचना पत्र संलग्न करें. ....

(फ) अनुमानित कुल व्यय का विवरण ....

(11) यदि सामान्य अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो निम्नांकित जानकारी दें.

(अ) संस्था जिस खेल से संबंधित है उस खेल की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप किन-किन आयु वर्ग में होती है. ....
(सीनियर, जूनियर, सबजूनियर, आदि)

(ब) क्या उपरोक्त सभी वर्गों में विगत वर्ष राज्य स्तरीय आयोजन/जिला स्तरीय आयोजन/अन्य आयोजन संस्था द्वारा कराया गया है. यदि हां तो समस्त वर्गों/अन्य आयोजन के आयोजन स्थल, आयोजन तिथि, भाग लेने वाले दलों के नाम, खिलाड़ियों की कुल संख्या प्रत्येक आयोजन में कुल व्यय पृथक से संलग्न करें. ....
(पंजीकृत संस्थाएं अन्य आयोजन की जानकारी दें)
(राज्य/जिला संघ निम्नांकित प्रारूप में जानकारी दें)

क्र.	आयोजन वर्ग	आयोजन स्थल	आयोजन तिथि	भाग लेने वाले दलों के नाम	खिलाड़ियों की कुल संख्या	कुल वास्तविक व्यय
1.	सब जूनियर, बालक/बालिका					
2.	जूनियर, बालक/बालिका					
3.	सीनियर, पुरुष/महिला					

(स) क्या विगत वर्ष राष्ट्रीय/राज्य चैम्पियनशिप के सभी वर्गों में राज्य/जिला का दल भेजा गया है. यदि हां तो समस्त वर्गों के आयोजन स्थल, आयोजन तिथि, भाग लेने वाले खिलाड़ियों के नाम, पूर्ण डाक पता सहित जानकारी पृथक से संलग्न करें. ....

क्र.	राष्ट्रीय/राज्य चैम्पियनशिप का नाम	आयोजन स्थल	आयोजन तिथि	भाग लेने वाले खिलाड़ियों नाम एवं पता
1.	.... सब जूनियर, बालक/बालिका			
2.	.... जूनियर, बालक/बालिका			
3.	.... सीनियर, पुरुष/महिला			

(द) संस्था का चालू वर्ष का अनुमानित आय व्यय विवरण संलग्न करें. ....
(अनुमानित आय में शासकीय अनुदान राशि निर्धारित प्रावधान से अधिक नहीं दर्शाया जाए. जानकारी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष किन्हीं दो से हस्ताक्षरित हो)

(इ) संस्था के बैंक खाता के संबंध में जानकारी बैंक का नाम एवं बैंक खाता क्रमांक दर्शाएं. ....
(यदि एक से अधिक खाता संचालित किया जा रहा हो तो सभी की जानकारी दें)

(फ) क्या संस्था द्वारा खेल का नियमित अभ्यास केन्द्र संचालित किया जा रहा है. यदि हां तो स्थान एवं प्रशिक्षण समय की जानकारी दें. ....

(ज) संस्था द्वारा वर्ष भर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का कैलेण्डर संलग्न करें. ....

(आवेदक के हस्ताक्षर)
नाम ....
पद मुद्रा
सचिव
खेल संघ/संस्था.

घोषणा पत्र

हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त विवरण सही है, तथा उक्त विवरण तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं.

हम यह भी घोषणा करते हैं कि संस्था अनुदान राशि के उपयोग हेतु नियमों का पालन करेगी तथा उसका पालन नहीं होने पर अनुदान राशि वापस करेगी.

हम यह भी घोषणा करते हैं कि शासन द्वारा दी गई आर्थिक सहायता के संबंध में इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी प्रचार माध्यमों को दिये जाने पर हमें आपत्ति नहीं होगी.

किन्ही दो के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

कोषाध्यक्ष सचिव अध्यक्ष

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2007

क्रमांक/एफ 1-125/वस/2001.—छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-125/व. सं./2001 रायपुर दिनांक 20 जुलाई 2001 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा राजनांदगांव जिले में खैरागढ़ वनमंडल के उपवनमंडलों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है —

अनु. क्र.	वृत का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम मुख्यालय	उपवनमंडल का नाम मुख्यालय	क्षेत्रफल वर्ग कि. मी.	सम्मिलित परिक्षेत्रों एवं काष्ठागारों का नाम (मुख्यालय)	उपवनमंडलों की सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	दुर्ग वृत्त दुर्ग	राजनांदगांव	खैरागढ़ (खैरागढ़)	1. गंडई (गंडई)	508.00	1. साल्हेवारा (साल्हेवारा) 2. गंडई (गंडई)	उत्तर- कवर्धा जिले की सीमा पूर्व- दुर्ग जिले की सीमा दक्षिण- छुईखदान वन परिक्षेत्र की सीमा. पश्चिम-मध्यप्रदेश राज्य की सीमा.
				2. खैरागढ़ (खैरागढ़)	457.19	1. खैरागढ़ (खैरागढ़) 2. छुईखदान (छुईखदान)	उत्तर- साल्हेवारा एवं गंडई परिक्षेत्र की सीमा. पूर्व- दुर्ग जिले की सीमा दक्षिण-डोंगरगढ़ विकासखण्ड की सीमा. पश्चिम-म. प्र. राज्य की सीमा
				3. डोंगरगढ़ (डोंगरगढ़)	409.88	1. डोंगरगढ़ (डोंगरगढ़) 2. उत्तरबोरतालाब (डोंगरगढ़) 3. दक्षिणबोरतालाब (डोंगरगढ़) 4. अछोली-काष्ठागार	उत्तर-खैरागढ़ विकासखण्ड की सीमा. पूर्व-राजनांदगांव एवं डोंगरगांव विकासखण्ड की सीमा. दक्षिण-डोंगरगांव एवं छुरिया विकासखण्ड की सीमा. पश्चिम-महाराष्ट्र एवं म. प्र. राज्य की सीमा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. भट्ट, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2007

क्रमांक 1/अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	गुम्माटोला	6.75	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	सेमरहा जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2007

क्रमांक 77/अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	कुदरी	0.782	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	अपरखुज्जी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 17 दिसम्बर 2007

क्रमांक/132/अ.वि.अ./भू-अर्जन/02 अ/82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	आमगांव प. ह. नं. 119/66	2.30	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.)	आमगांव जलाशय का डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 3 दिसम्बर 2007

क्रमांक 10434/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	पाटा प. ह. नं. 23	2.50	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	गंजीगंजा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

क्रमांक 1415/वाचक/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रतापपुर	सिलौटा	3.89	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग, प्रतापपुर.	सिलौटा जलाशय निर्माण बाबत नहर क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

क्रमांक 1415/वाचक/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रतापपुर	सेमराकला	1.59	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग, प्रतापपुर.	सिलौटा जलाशय निर्माण बाबत वेस्ट वियर.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

क्रमांक 1415/वाचक/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रतापपुर	सिलौटा	10.88	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग, प्रतापपुर.	सिलौटा जलाशय निर्माण बाबत डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

प्रकरण क्रमांक 11/अ 82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-पचपेड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.82 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	503/1	0.18
	503/2	0.18
	506	0.12
	511	0.34
योग	4	0.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पचपेड़ी से ओखर मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

प्रकरण क्रमांक 12/अ 82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-गोबरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.70 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	622	0.54
	623/2	0.20
	624	0.22
	625/1	0.06
	625/2	0.09
	625/3	0.04
	626/1	0.06
	626/2	0.06
	627	0.09
	628	0.09
	629/2	0.14
	629/3	0.07
	629/4	0.04
योग	13	1.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोबरी से कोकड़ी पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 27 दिसम्बर 2007

क्रमांक/11288/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-घोठिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.14 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	134/4	0.14
योग		0.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोठिया जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 दिसम्बर 2007

क्रमांक/11290/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-छुरिया

(ग) नगर/ग्राम-पिनकापार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.85 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	323	1.40
	302/5	0.40
	302/7	0.05
योग	3	1.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मासूलजोब जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 2 जनवरी 2008

क्रमांक/49/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगढ़

(ग) नगर/ग्राम-नजूल शहर डोंगरगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1806 वर्गफुट

	खसरा नम्बर	रकबा (वर्गफुट में)
	(1)	(2)
	686/1	1806
योग	1	1806

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोंगरगढ़ से चिचोला रेल्वे क्रासिंग पर ओव्हर ब्रिज के सर्विस रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग.

महासमुन्द, दिनांक 17 दिसम्बर 2007

क्रमांक/138/भू-अर्जन/अ.वि.अ./7-अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-लाखागढ़, प. ह. नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.61 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
57	0.07

(1)	(2)
58	0.01
57	0.06
57	0.04
57	0.19
139	0.02
139	0.08
139	0.09
139	0.05
योग 9	0.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-देवगांव जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 17 दिसम्बर 2007

क्रमांक/140/भू-अर्जन/अ.वि.अ./8-अ/82/ वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-कोना, प. ह. नं. 132
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.243 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
195	0.020
294/2	0.073
297	1.150
योग 3	1.243

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कोना जलाशय के डूबान क्षेत्र के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

क्रमांक 9.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-दर्राभाठा, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.158 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
199/2	0.101

(1)	(2)
179/2	0.057
योग 2	0.158

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दर्राभांठा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

क्रमांक 10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-परसदाकला, प. ह. नं. 11
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.306 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
217/5	0.028
223/1	0.020
1117/4	0.032
1110	0.020
1097/1	0.032
1107	0.016
988/2	0.032
977	0.016
964/1	0.065
956/2	0.045
योग 10	0.306

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 दिसम्बर 2007

क्रमांक 3/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जांजगीर
(ग) नगर/ग्राम-चंगोरी, प. ह. नं. 1
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
394/1	0.05
395	0.09
394/2	0.10
396	0.09
394/3	0.05
437/1	0.21
437/2	0.21
योग 7	0.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चंगोरी लुथरा शरीफ मार्ग के अंतर्गत लीलागर नदी पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-लवसरा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.028 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1676/2	0.028
योग	1	0.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिरली सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 दिसम्बर 2007

क्रमांक 12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-चोरिया, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.211 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
430/4	0.065
431/2	0.178
431/3 ख	0.065
431/3 क	0.032
433/4	0.049
433/5	0.045
433/1	0.045
390/133	0.097
390/124	0.105
390/8 क	0.162
390/129 ख	0.146
390/27	0.081
390/108	0.020
390/104	0.065
390/28 ख	0.117
390/29 क	0.016
390/103	0.081
320/5	0.020
320/4	0.004
320/1 ख	0.101
320/1 क	0.016
390/97	0.125
390/95 ख	0.024
321/6	0.024
390/96	0.073
390/82	0.016
390/142	0.036
390/81	0.081
390/83	0.032
390/84	0.020
390/85	0.020
390/86	0.016
390/87	0.020
390/88	0.012
390/151	0.016

(1)	(2)
322/7 ख	0.008
290/45	0.077
290/39	0.008
290/50	0.065
175/1	0.065
175/3	0.077
290/43	0.073
290/37	0.073
290/36	0.081
177/7 ख	0.057
177/9	0.040
177/3	0.061
178/4 घ	0.150
290/35	0.028
390/29 ड	0.109
2175	0.214
योग 51	3.211

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चोरिया माइनर नं.1 ए निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 14 नवम्बर 2007

भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 8 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खैरपुर, प. ह. नं.14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 4.354 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
295/3	0.162
601/2	0.146
304/2	0.162
305/2	0.008
307/1	0.012
307/3	0.012
466/3	0.053
468/4	0.077
312/2	0.036
410/1	0.097
467/1	0.008
601/1	0.061
312/3	0.036
467/2	0.020
468/2	0.012
363/1	0.040
386/4	0.101
369/1	0.024
560/1	0.129
387	0.073
465/1	0.020
520	0.081
600	0.405
548/5	0.243
559/1	0.081
601/6	0.046
304/1	0.032
514/12	0.061
305/1	0.008
305/3	0.012
307/2	0.012
306/3	0.162
467/3	0.004
370/1	0.040
409	0.049
469/1	0.040

(1)	(2)
466/1	0.028
370/3	0.040
391/2	0.113
366/2	0.065
521/2	0.202
365/1	0.105
369/2	0.073
368	0.049
561/1	0.101
391/3	0.028
519/1	0.049
514/3	0.061
559/2	0.061
547	0.109
595	0.222
594/1	0.032
594/2	0.032
594/3	0.032
548/1	0.032
548/3	0.073
545/1	0.049
545/3	0.049
545/4	0.049
561/1	0.032
561/6	0.032
561/4	0.028
561/2	0.004
561/3	0.008
546/2	0.061
योग	4.354

(2) सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उर्दना से कृष्णापुर-खैरपुर मार्ग के भू-अर्जन की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायगढ़, दिनांक 14 नवम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कुसमुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.046 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
392/2	0.093
904/1 ख, 905/1 ख	0.057
907	0.057
906/2	0.081
796	0.158
790	0.049
419/1	0.303
908	0.140
906/1	0.024
898/3	0.291
897/2	0.028
904/1 क, 905/1 क	0.057
898/1	0.057
905/2	0.101
570/1, 2, 3	0.235
571/1, 2	0.105
910/2	0.008
828/1	0.081
828/2	0.348
822	0.413
823/2 क	0.028
808	0.081
420/2	0.012
421/2	0.032
421/1, 422	0.008
897/3	0.097
896	0.121
788	0.028
440/1174	0.045
499	0.462
897/4	0.384
332/1	0.153
605, 607/1	0.206
610	0.146
933	0.190
935	0.045

(1)	(2)	(1)	(2)
416/2 ख	0.112	440/2	0.024
556/1 ख	0.121	938	0.135
939, 937/1	0.461	793/2	0.275
386/2	0.081	827/2	0.016
423/4, 425/4, 424/1165/4	0.020	831/1, 2	0.081
893/2	0.045	572/1	0.229
891	0.012	391/2	0.024
892	0.008	814/1	0.085
842/1	0.097	815	0.032
830/1, 2	0.101	390/2	0.012
507	0.085	789	0.130
940	0.008	811/2	0.053
827/1	0.227	384/2	0.045
555	0.198	389/1	0.081
609/1 ख	0.040	386/1	0.113
937/2	0.057	420/1	0.061
385/2	0.086	418/2	0.061
607/2	0.077	416/3	0.020
814/2	0.162	506	0.105
509	0.105	505/1	0.012
828/3	0.024	508	0.097
823/2 ख	0.032	501/1	0.008
609/1 क	0.036	816/1, 2	0.165
606, 572/2	0.202	810	0.024
936/1	0.077	441/2	0.101
604/3	0.020	812	0.028
817/1	0.182	807/2	0.069
941/2	0.028	786	0.215
829	0.057	395/1 क, 395/1 ख	0.110
390/3	0.012	387	0.097
821	0.020	420/4, 419/2	0.016
823/1 ख	0.032	442	0.198
809/1, 2	0.381	505/3	0.020
793/1, 794	0.385	505/2	0.020
795	0.125	423/2, 425/2, 424/1165/2	0.020
811/1	0.032	502/1	0.225
818	0.020	554/1, 554/1 ख	0.560
389/2	0.252	423/1, 425/1, 424/1165/1	0.020
393/1	0.117	582/2	0.121
393/2	0.020		
500/3	0.162	योग	13.046
603/1 ख	0.113		
423/3, 425/3, 424/1165/3	0.020		
503/2	0.008		
510	0.134		
502/2	0.020		

(2) सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन की आवश्यकता है- केलो परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 नवम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जोरापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.685 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5	0.247
6	0.486
7	0.570
8/1	0.085
8/3	0.089
8/7	0.219
8/13	0.085
11/15	0.032
11/17	0.061
11/16	0.049
20/1	0.729
21	0.348
8/15	0.133
9/2	0.186
10	0.069
8/2	0.061
8/4	0.291
11/18	0.069
8/9	0.388
8/5	0.012
9/1	0.328
22/1	0.04
11/9	0.008
11/10	0.032
11/13	0.032
11/14	0.036
योग	4.685

(2) सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन की आवश्यकता है केलो परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 नवम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-धनागर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.009 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
142/1	0.069
142/2	0.036
349/1	0.679
142/3	0.032
141	0.024
143	0.409
145/1	0.243
145/2	0.166
144	0.295
165/1	0.028
165/2	0.186
164/1	0.089

(1)	(2)
164/3	0.075
164/5	0.040
163	0.247
164/7	0.016
234/5	0.073
164/9	0.075
158/6	0.032
168/7	0.247
158/8	0.065
158/15	0.186
154/2	0.121
154/4	0.057
154/7	0.024
233/3	0.028
154/5	0.142
154/6	0.210
331/4	0.186
155/8	0.036
155/9	0.101
155/10	0.011
155/11	0.029
360/8	0.172
155/12	0.011
155/13	0.011
155/17	0.028
155/14	0.011
155/18	0.028
155/15	0.012
155/16	0.012
155/19	0.028
233/7	0.475
233/12	0.003
233/18	0.155
233/16	0.060
233/4	0.024
233/11	0.494
233/8	0.045
233/17	0.040
233/22	0.040
249/2	0.028
249/5	0.256
332/6	0.028
249/1	0.332
234/2, 234/4	0.235
235/2	0.105
234/3	0.061
234/6	0.097
239/2	0.069
234/7	0.093
234/8	0.020
235/1	0.036
238/1	0.121
237/1	0.312
237/1	0.121
238/2	0.121
239/1	0.186
240	0.202
241	0.380
239/2	0.081
243/1	0.008
349/2	0.081
349/3	0.040
331/1	0.117
332/1	0.028
332/2	0.073
332/3	0.073
332/4	0.028
332/5	0.028
249/8	0.113
332/8	0.036
329/1	0.121
329/4	0.304
333/1	0.012
328/4	0.031
329/2	0.113
329/5	0.101
332/7	0.028
349/1	0.086
325	0.506
329/3	0.243
329/6	0.049
योग	11.009

(2) सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन की आवश्यकता है- केलो परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 नवम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायगढ़
   (ख) तहसील-रायगढ़
   (ग) नगर/ग्राम-खोखरा
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.841 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4	0.073
5	0.081
3	0.186
6	0.052
9/2	0.032
303/2	0.081
8/2	0.016
239/1	0.085
13/1	0.056
9/3 क	0.117
9/3 ख	0.101
11/2	0.113
9/1 ज	0.016
21/1	0.162
136/2	0.057
137/2	0.056
23	0.040
135	0.020
136/1	0.057
24	0.028
25/1	0.089
26	0.231
646/4 क	0.032
25/2	0.040
688/7	0.320
27/1 क	0.121
479/2	0.020
688/6	0.117
689/2	0.445
45/1	0.041
153/3	0.065
153/6	0.028
133/1	0.012
153/9	0.063
153/10	0.112
45/2	0.024
133/2	0.020
153/1	0.145
153/7	0.066
153/8	0.066
153/11	0.081
241/13	0.018
132/2	0.089
240/1 ग	0.057
241/14	0.018
136/3	0.032
137/3	0.020
479/1	0.061
688/1	0.101
491/1	0.081
240/1 ख	0.057
241/11	0.040
238/1	0.040
237/1 ग	0.040
237/1 घ	0.008
646/3	0.033
238/2	0.045
237/1 क	0.045
237/2 क	0.081
557/1 क	0.121
247/2	0.186
305/1	0.214
248/1, 3	0.607
249/1	0.016
250/4	0.068
493/5	0.101
250/3	0.093
251	0.105
309/1	0.101
307/1 ख	0.008
493/2	0.101
250/5	0.093

(1)	(2)
250/8	0.222
304	0.130
8/1	0.067
27/1 ख	0.040
557/8 क	0.040
249/4	0.012
492/1	0.129
252	0.040
250/9	0.433
646/7	0.017
492/2 क	0.089
645/2 ख	0.129
557/7 ख	0.202
557/1 ग	0.202
645/3 घ, 645/5	0.101
241/16	0.017
241/17	0.017
241/18	0.017
132/1	0.105
688/3	0.239
153/4	0.065
497/2	0.065
486/1	0.081
486/2 क	0.186
688/5	0.073
482/2	0.024
486/2 ख	0.101
645/3 ग	0.393
646/2 ख	0.069
646/5	0.030
646/4 ख	0.036
647/2	0.049
240/1 च	0.056
241/20	0.018
557/7 घ	0.066
154/12	0.068
134/1	0.010
305/4	0.097
307/1 ख	0.020
153/5	0.024
11/3, 12/2	0.040
486/4	0.121
645/1 क	0.271
557/8 ख	0.109
487	0.040
485	0.206
557/9 क	0.231
488	0.020
557/7 ख	0.162
557/9 ख	0.174
647/1	0.053
648	0.433
688/2	0.125
645/3 ख	0.186
653/3	0.181
153/2	0.210
493/7	0.112
305/5	0.077
685/5	0.073
132/3	0.089
योग	12.841

(2) सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन की आवश्यकता है- केलो परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 नवम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लोहरसिंह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.411 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
395/1 क	0.485

(1)	(2)
578/1 क	0.077
396/3	0.137
395/2 क	0.734
395/1 ख	0.622
395/3	0.081
616/1	0.117
578/3	0.162
578/5	0.040
578/4	0.162
579/2	0.016
579/1	0.032
584/2	0.274
585/1	0.024
585/2	0.040
584/1	0.162
580/1	0.121
583/1, 583/2	0.606
612/2	0.040
683/3, 612/3	0.202
611/2	0.016
613/2, 614/2, 615/2	0.036
613/1, 614/1	0.040
616/2	0.057
617/1	0.057
617/2	0.061
618/2	0.036
614/3, 613/3	0.097
619/2	0.145
622	0.141
623	0.049
621/1	0.020
621/2	0.465
624/1	0.049
601/6	0.008
योग	5.411

(2) सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन की आवश्यकता है- केलो परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 नवम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तरकेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.958 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
145	0.032
148	0.073
146/1	0.045
149/1, 3	0.085
150/2	0.105
153/13	0.169
144	0.020
153/2	0.045
158/1, 2	0.150
147	0.053
160/1 क	0.077
160/1 ख	0.073
160/2 ख	0.081
159	0.129
160/2 क	0.032
699/2, 3	0.016
685/3	0.093
700/3	0.081
714, 712	0.061
716/1	0.020
710	0.214
717/1	0.016
157	0.020
418	0.231
434	0.146
689	0.360

(1)	(2)
686	0.340
684/2	0.036
415, 416	0.053
417	0.040
421/2, 421/3	0.024
410/2	0.178
409/1, 2	0.182
436/1	0.020
411/1	0.186
435/1	0.146
683/1 क	0.101
700/4	0.097
703/2	0.206
718	0.107
711/3	0.012
715/4	0.036
433/2 क	0.182
433/1	0.065
669/1	0.097
669/2	0.097
668	0.142
690/1	0.045
690/2	0.020
685/2	0.045
685/1	0.053
435/2	0.049
684/1	0.219
683/2, 3	0.138
683/1 ख	0.040
697	0.085
698	0.142
699/1 ख	0.020
700/2	0.081
703/1, 5	0.049
771/1	0.036
711/2	0.008
716/2	0.020
717/2	0.028
715/3	0.036
703/1 घ	0.032
163/2	0.077
715/1	0.069
161	0.146
710/1 क, 709	0.024
715/2	0.016
163/1	0.231
699/1 ग	0.024
688	0.398
योग	6.958

(2) सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन की आवश्यकता है- केलो परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 नवम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 36/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-कलमी, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.145 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
166	1.145
योग	1.145

(2) नीजि भूमि का भू-अर्जन के लिए आवश्यकता है-220 के.व्ही. बे. विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टंडन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-पीठाआमा, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.531 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
119	0.024
117/1	0.160
117/2	0.004
116	0.104
176/1	0.140
175	0.004
117/3	0.160
337/2	0.028
176/6	0.052
181/1	0.078
181/2	0.192
218/1	0.160
338/5 ख	0.040
320/1	0.078
338/5 क	0.096
338/4 क	0.052
335	0.108
338/8	0.060
337/1	0.252
352	0.093
353/1	0.192
354	0.316
431	0.112
461	0.024
462/2	0.104
421/2 ड़	0.248
464/1	0.024
466/1	0.058
465/1	0.024
481/10	0.184
478/2	0.083
485/2	0.008
484/5 ज	0.070
478/1	0.116
481/8	0.040
484/7 क	0.052
484/5 छ	0.065
484/2 ख	0.192
499/1	0.008
503	0.042
479/1, 481/1	0.184
484/4 क	0.488
500/2	0.012
योग 43	4.531

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पीठाआमा जलाशय की मुख्य नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-पत्थलगांव

(ग) नगर/ग्राम-जामझोर, प. ह. नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.400 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/3, 4/1	0.088
3	0.152
426/4	0.024
426/6	0.080
426/15	0.024
1/2 न	0.088
1/2 ध	0.208
9/1	0.052
8/1	0.004
1/2 त	0.004
9/2 क	0.144
10	0.140
11	0.032
330/3	0.036
12	0.034
15	0.012
9/2 ख	0.074
9/4	0.120
237/2, 340/4	0.008
17	0.048
330/1 क	0.184
330/2 ग	0.068
342/2	0.060
334/1	0.104
336	0.060
352/3	0.024
352/4	0.162
348/1 ख	0.008
348/1 ग	0.058
348/1 घ	0.008
349/3	0.036
349/2	0.120
330/7	0.064
330/22 ख	0.028
330/14	0.032
330/18	0.064
330/16	0.008
330/25	0.058
426/20	0.012
426/21	0.016
426/2 ग	0.004
426/5	0.024
426/3	0.036
399	0.032
400	0.072
426/24	0.120
501	0.194
496/1	0.104
497/2 ख	0.072
496/4	0.168
योग 49	3.400

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गेरानाला जलाशय, एल. बी. सी. मुख्य नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-पत्थलगांव

(ग) नगर/ग्राम-चौराआमा, प. ह. नं. 04

(घ) लगभग क्षेत्रफल-18.237 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
99/1	0.081

	(1)	(2)
	99/3	0.202
	100/1	0.809
	100/2 क	1.740
	102	0.364
	104	0.049
	105/1	0.219
	107	0.186
	100/2 ख	0.809
	101/1 क	0.028
	101/1 ग	0.093
	103/1	0.263
	103/3	0.940
	103/6	0.206
	101/1 ख	0.081
	103/2	0.263
	103/4	0.077
	103/5	0.226
	106	0.470
	118	0.178
	194	0.121
	194/1 क/3	3.140
	195/3	1.044
	195/1 क/1	1.659
	195/1 क/2	0.162
	196	0.214
	195/1 ख/2	1.384
	195/1 ख/3	1.384
	195/1 ख/3	1.384
	195/2	0.299
	195/4	0.162
योग	31	18.237

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घरजिया बथान जलाशय के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-सूरजगढ़, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-82.361 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14/1	0.862
14/2 क	1.570
25/1	0.142
28/1	0.526
34/1	0.858
14/2 ख	0.340
18/1	0.401
19/3	0.809
24	1.019
518	0.117
27/4	0.121
35/3	0.089
35/4 ख	0.567
55/1	3.856
19/4	0.081
15/1	4.888
16/1	0.316
16/3	0.101
17/1	1.072
21/1	0.960
54/2	0.271
35/5	0.101
49/1	2.023
24/5/3	0.384
26	0.611
22	0.397
51/1	1.263
51/2	0.559
52/2	0.486
86	0.214
87	0.287
91	0.340
94/2	0.113
95	0.312
96/1	0.283
96/2	0.129

(1)	(2)	(1)	(2)
90/3	0.020	37/1 क	0.345
23/1 ख	0.210	39/1	0.182
101/2	0.809	54/1 क	0.340
42/5	0.172	21/2	0.517
43/4	0.131	42/1	0.178
97/3	0.241	43/1	0.113
101/1 ख	0.045	38/5	0.445
105	0.360	19/1	1.493
42/6	0.172	20/2 ख	0.101
43/5	0.131	85/1 ग	0.267
97/4	0.241	89/1	0.498
85/1 क	0.147	20/1	0.372
42/7	0.172	50/1	0.729
43/6	0.131	93	0.089
35/6	0.089	121	0.283
42/3	0.172	127	0.158
43/2	0.131	128	0.166
97/2	0.241	120	0.178
42/10	0.172	38	0.147
43/8	0.131	39/2	0.121
97/8	0.241	32/2	0.016
101/1 क	0.148	33/2	0.504
106/1	0.445	37/1 ख	0.400
110	0.162	25/3 ख	0.065
40/1	0.275	54/1 ख	0.217
52/1 क	1.351	92/1 ग	0.241
53/1/1	0.344	92/1 क	0.040
94/1 ग	0.529	92/2	0.036
111/2	0.879	113/1	0.113
141/1	0.890	122	0.210
114/4	0.101	126	0.158
35/2 क	0.113	27/5	0.304
41/3	0.186	30	1.275
98/1 क	0.570	31/2	0.263
99/1	0.162	27/1	2.007
100/1	0.504	28/2	0.539
102	0.304	46	0.405
103	1.376	47	0.138
52/1 ख	2.331	92/1 ख	0.241
35/10	0.506	115	0.283
23/1 क	0.324	27/3	0.174
23/2	0.081	29	4.431
25/3 क	0.036	42/4	0.172
31/1	0.024	43/3	0.131
32/1	0.263	97/9	0.241
33/1	0.345	42/8	0.172

(1)	(2)
43/7	0.261
97/5	0.241
53/2 क	0.370
94/1 घ	0.405
45/1 क	0.405
45/2 क	0.215
36	0.150
35/1 ख	0.129
42/2	0.405
35/2 ख	0.300
90/1	0.413
98/1 ख	0.081
99/2	0.121
100/2	0.081
104	0.308
107/1	0.486
35/1 क	0.073
98/1 ग	0.251
100/3	0.750
99	0.130
44	0.624
45/1 ख	1.011
45/2 ख	0.202
48	0.849
94/1 क	0.612
94/1 ख	0.825
123	1.412
42/9	0.172
53/2 ख	0.371
97/6	0.445
119/3	0.032
97/1	0.162
97/7	0.145
53/1/2	0.416
114/2	0.291
114/3	0.930
35/2/2ग	0.032
41/1	0.643
98/1 घ	0.567
105/1	0.251
109/1	0.061
109/2	0.271
111/3	0.405
84/2	0.202
85/1 ख	0.202
योग 172	82.361

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घरजिया बथान जलाशय योजना का डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-तिरसौंठ, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-27.167 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
145	0.186
146/1	0.640
146/2	0.567
147	0.344
148	1.036
149	0.417
161	0.404
162	0.340
163	0.268
289	0.061
286/4	0.138
431	0.166

(1)	(2)
433	0.093
323/3	0.036
324/3	0.113
132/3	0.102
129	0.093
132/2	0.505
323/4	0.036
324/4	0.113
323/5	0.036
324/2	0.113
132/1	0.251
313	0.356
311/2	1.173
312	0.081
315	0.101
21/11	0.608
125	0.259
127	0.073
323/1	0.030
324/1	0.123
164	0.008
26	0.054
286/1	0.202
288/1	0.259
309/3	0.032
320	0.490
321	0.227
322	0.344
384/1, 286/3, 288/2	0.145
144	0.587
309/2	0.405
208	0.089
307	0.101
141/1 ख	0.202
309 ख	1.295
132/4	0.202
25	0.004
30/2 क	0.027
30/2 ग	0.018
128/1	1.092
130/3 ख	0.069
124/2	0.304
130/3 क	0.073
128/2	0.324
170/3	0.032
14	0.028
137	0.202
142/2	0.194
142/3	0.040
165	0.028
21/10 ड़	0.071
21/10 छ	0.071
30/2 च	0.030
21/10 क	0.076
21/10 ख	0.071
21/10 च	0.071
30/2 ड़	0.020
30/2 ख	0.018
30/2 घ	0.018
21/10 ग	0.071
30/2 झ	0.036
287	0.376
1/2	0.081
1/3	0.186
2/2	0.154
2/1	0.085
3	0.441
4	0.182
11	0.105
12	0.413
13	0.494
324/5	0.113
126/1 ग	0.202
323/2	0.036
310	1.619
311/1	1.951
319	0.607
30/2 छ	0.040
30/2 ज	0.036
21/10 घ	0.071
460	0.004
123	0.526
124/1	2.225
30/3	0.012
126/1 ख	0.121
126/2	0.595
योग 96	27.167

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घरजिया बथान जलाशय के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-घरजियाबथान, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.338 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
790/3	0.238
790/4	0.639
831/2	1.263
825/1	0.162
832/1	0.162
821/912	0.235
838/1	0.121
827/3	0.425
825/3	0.162
827/2	0.437
865/4	0.680
829	0.255
824/2	0.195
832/2	0.445
839	0.045
832/3	0.344
825/2	0.162
820	0.032
821	0.121
822	0.016
828/2	0.454
838/2	0.202
821/911	0.313
828/1	0.202
837	0.324
835/1, 836/1	0.202
841/1	0.259
841/2 ख	0.008
865/2	0.243
862	0.154
863/1 ख	0.709
866/2	0.080
867/3	0.060
864	0.065
865/1	0.757
869/2	0.648
834	0.478
835/1, 836/1	0.409
830	0.081
833	0.101
863/1 क	0.545
866/1	0.060
867/2	0.040
864/7	0.060
869/1 ख	0.648
870/1, 871/1	1.311
841/2 क	0.741
859/1	0.380
867/1	0.202
869/1 क	0.445
790/5	0.150
792	0.101
793	0.032
877/2 ग	0.154
868	0.061
869/1 ग	1.072
870/2, 871/2	0.008
887/2 क	0.182
887/1	0.405
873	0.032
874/2	0.028
827/1	0.546
815/2	0.016
838/3	0.121
840	0.170
योग 63	19.338

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घरजिया बथान जलाशय के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 01/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-जशपुर छत्तीसगढ़
  (ख) तहसील-जशपुर
  (ग) नगर/ग्राम-रतिया
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.807 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3/3	0.405
	3/4	1.380
	29	0.332
	36	0.291
	37	0.146
	38	0.922
	39	0.648
	49	0.073
	52	0.097
	66/4	0.607
	62/1	0.227
	62/2	0.227
	63	0.429
	64/2	0.405
	66/3	0.809
	64/3	1.053
	64/5	1.214
	64/4	1.053
	65	1.007
	66/2	0.134
	111	0.348
योग	21	11.807

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रतिया व्यप. योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 06/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-जशपुर छत्तीसगढ़
  (ख) तहसील-जशपुर
  (ग) नगर/ग्राम-छतौरी
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.245 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/25	0.295
2	0.146
46	0.129
3	0.049
28	0.020
41/2	0.101
42/2	0.146
45	0.129
204	0.218
210	0.032
205/1	0.154
205/2	0.154

(1)	(2)
212/1	0.097
228/5	0.016
209	0.065
240, 243/3	0.162
241	0.057
238	0.016
239	0.105
242	0.073
253	0.081
योग 22	2.245

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छतौरी व्यप. योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 03/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर छत्तीसगढ़

(ख) तहसील-जशपुर

(ग) नगर/ग्राम-कातिंग

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.222 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.049
37	0.105
5	0.089
24	0.073
96	0.008
112	0.040
149	0.016
323	0.065
8	0.073
209	0.008
313	0.057
22	0.049
298	0.081
26	0.138
309	0.008
315	0.081
35	0.073
44/1, 101	0.040
100	0.065
111	0.012
152	0.065
322	0.138
114	0.081
116	0.032
117	0.040
138	0.057
305	0.073
139	0.065
217	0.049
140	0.016
144/1	0.162
151	0.032
299	0.049
153	0.024
157	0.020
212	0.008
213	0.024
214	0.012
215	0.008
216	0.014
312	0.032
306	0.065
योग 43	2.222

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रतिया जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 04/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर छत्तीसगढ़
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पोड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.353 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	17/18	0.121
	92/1	0.065
	108	0.040
	109	0.081
	114	0.065
	115/1	0.081
	129/1	0.049
	115/2	0.089
	118/1	0.138
	116/1	0.049
	118/2	0.089
	122/1	0.097
	122/2	0.073
	128	0.105
	129/2	0.049
	131/1	0.028
	131/2	0.028
	133	0.049
	135	0.057
योग	20	1.353

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रतिया व्यप. योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 02/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर छत्तीसगढ़
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-रतिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.286 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
110	0.162
109/1	0.089
106/1	0.012
109/2	0.089
106/2	0.012
108	0.057
294	0.040
316	0.045
107	0.024
296	0.024
105/3	0.121
334/2	0.061
289/3	0.024
289/5	0.016
288	0.020
289/2	0.024
334/1	0.121
289/6	0.012
365/2	0.117
295	0.016
307	0.020
371	0.085
297	0.032
299	0.032
300/1	0.036
374/1	0.043
301	0.040

	(1)	(2)
	302	0.036
	303	0.065
	304	0.057
	305	0.028
	340	0.097
	306	0.048
	308	0.016
	341	0.069
	335/1	0.053
	374/2	0.042
	358	0.142
	336/1, 336/2	0.198
	366/1	0.061
योग	41	2.286

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रतिया जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 08/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जशपुर छत्तीसगढ़
 (ख) तहसील-जशपुर
 (ग) नगर/ग्राम-खरसोता
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.648 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	304	0.132
	395	0.040
	402	0.072
	1393/3	0.044
	1395	0.040
	1509	0.048
	1510	0.040
	1526	0.032
	1527	0.200
योग	9	0.648

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- डड़गांव जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 05/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जशपुर छत्तीसगढ़
 (ख) तहसील-जशपुर
 (ग) नगर/ग्राम-करदना
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.457 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
480/1	0.526
480/2	0.129
480/3	0.405

(1)		(2)
	481	0.397
योग	4	1.457

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छतौरी व्यप. योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 07/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित कियां जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर छत्तीसगढ़
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-घाघरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.298 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	41	0.235
	51	0.040
	57	0.040
	43/1	0.024
	46/2	0.073
	46/4	0.020
	60	0.162
	43/2	0.024
	46/3	0.105
	44/1	0.121
	55	0.057
	56	0.049
	58/2	0.024
	69	0:024
	70/1	0.81
	77	0.049
	72	0.089
	75/1	0.081
योग	18	1.298

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छतौरी व्यप. योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर रायगढ़, (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2007

क्रमांक/1462/व. लि./2007.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो के अनुक्रमांक चार की कंडिका-5 एवं छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के अधिसचूना क्रमांक एम-3/2/1999/1/4 दिनांक 30-3-1999 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं ठा. रामसिंह,

आई. ए. एस. कलेक्टर, रायगढ़ कलेण्डर वर्ष 2008 के लिए रायगढ़ जिले में निम्नानुसार सम्पूर्ण दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :—

क्रमांक	तिथि	दिन	पर्व का नाम
1.	22-01-2008	मंगलवार	छेरछेरा (छत्तीसगढ़ी त्यौहार)
2.	04-07-2008	शुक्रवार	रथयात्रा
3.	08-10-2008	बुधवार	दशहरा (महानवमी)

उक्त अवकाश कोषालय/उपकोषालयों/बैंकों के लिये लागू नहीं होंगे.

रामसिंह,
कलेक्टर.

कार्यालय, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र एवं अध्यक्ष बायलर अटेन्डेन्ट परीक्षक मंडल
जी. ई. रोड, आमापारा, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2007

क्रमांक/मुनिवा/बा. अ.परीक्षा/5433/2007.—सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ बायलर अटेन्डेन्ट्स नियम, 1958 के अंतर्गत द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी बायलर अटेन्डेन्ट्स को प्रवीणता प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु दिनांक 27, 28 एवं 29 दिसम्बर 2007 को मेसर्स रायपुर एलायस एंड स्टील लि., सिलतरा रायपुर में आयोजित परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर परीक्षा की आगामी तिथि 23, 24 एवं 25 जनवरी 2008 नियत की जाती है.

परीक्षा की अन्य नियम, शर्तें, आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि (दिनांक 27-11-2007) तथा परीक्षा स्थल यथावत् रहेंगे.

परीक्षा की संशोधित तिथि : 23, 24 एवं 25 जनवरी 2008
परीक्षा स्थल : मेसर्स रायपुर एलायस एंड स्टील लि., सिलतरा, फेस-1, सिलतरा, रायपुर

हस्ता./-
अध्यक्ष.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 5th December 2007

No. 202/I-7-3/2008 (Pt.-I).—The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare 19th April, 2008 as working day for the High Court in place of 5th January, 2008 which was earlier mentioned as working day for the High Court vide this Registry Notification No. 201/I-7-3/2008 (pt.-I), dated 29th November 2007.

The 5th January 2008 shall now be a non-working Saturday for the High Court.

By order of the High Court,
H. S. MARKAM, Registrar General.

Bilaspur, the 13th November 2007

No. 499/Confdl./2007/II-15-21/2000 (Pt.-IV).—The following Ad-hoc Additional District Judge, as specified in Column No. (2), is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office: and

The following Ad-hoc Additional District Judge is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Anand Kumar Dhruv, XI Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court)	Durg	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court).

Bilaspur, the 13th November 2007

No. 501/Confdl./2007/II-3-1/2007.—The following Civil Judges Class-I & Chief Judicial Magistrates/Additional Chief Judicial Magistrates as specified in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) of the table below from the date they assume charge of their offices :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Satyabhama Ajay Dubey, VI Civil Judge Class-I & A. C. J. M.	Raipur	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	II Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
2.	Shri Rohit Singh Tanwar, Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Jashpur	Raipur	Raipur	VI Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
3.	Shri Anand Ram Dhidhi, II Civil Judge Class- I & A. C. J. M.	Durg	Jashpurnagar	Jashpur	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
4.	Shri Jitendra Kumar, III Civil Judge Class-I & A. C. J. M.	Bilaspur	Surajpur	Surguja (Ambikapur)	Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.

Bilaspur, the 13th November 2007

No. 502/Confdl./2007/II-3-1/2007.—The following Civil Judges Class-I & Judicial Magistrates First Class as specified in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column

No. (6) of the table below from the date they assume charge of their offices :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Ku. Sanghpushpa Bhatpahari, III Civil Judge Class-I.	Mahasamund	Janjgir	Janjgir-Champa	II Civil Judge Class-I
2.	Smt. Geeta Neware, II Civil Judge Class-I	Janjgir	Mahasamund	Mahasamund	III Civil Judge Class-I
3.	Shri Khilawan Ram Rigri, II Civil Judge Class-I	Jagdalpur	Sakti	Janjgir-Champa.	Civil Judge Class-I

Bilaspur, the 13th November 2007

No. 504/Confdl./2007/II-3-1/2007.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2), of the table below are hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office, viz. :-

TABLE

Sr. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Madhu Tiwari, Civil Judge Class-II.	Kurud	Patthalgaon	Jashpur	Civil Judge Class-II
2.	Smt. Priya Rao, XII Civil Judge Class-II.	Raipur	Kurud	Dhamtari	Civil Judge Class-II
3.	Shri Pankaj Kumar Jain, Civil Judge Class-II.	Narayanpur	Raipur	Raipur	XII Civil Judge Class-II
4.	Shri Nratyanjay Singh Patel, Civil Judge Class-II.	Patthalgaon	Narayanpur	Bastar (Jagdalpur)	Civil Judge Class-II
5.	Shri Manoj Kumar Prajapati, Civil Judge Class-II.	Katghora	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	III Civil Judge Class-II
6.	Smt. Kirti Lakra, III Civil Judge Class-II.	Ambikapur	Katghora	Korba	Civil Judge Class-II

बिलासपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2007

क्रमांक 7948/तीन-6-2/2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्यांक 2 सन् 1974) की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर निम्नलिखित न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, को उक्त

धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपत: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है—

अनु.	न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	सिविल जिला
1.	श्रीमती ममता शुक्ला, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	महासमुन्द	महामसुन्द
2.	श्री आशीष पाठक, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	महासमुन्द	महासमुन्द
3.	श्री यशवंत कुमार सारथी, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	महासमुन्द	महासमुन्द

No. 7948/III-6-2/2007.—In exercise of the powers conferred under clasuse (c) of sub-section (1) of section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers the following Judicial Magistrates First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

Sr. No.	Name of the Judicial Magistrate First Class	Present place of posting	Civil District
1.	Smt. Mamta Shukla, Judicial Magistrate First Class	Mahasamund	Mahasamund
2.	Shri Ashish Pathak, Juducial MagistrateFirst Class	Mahasamund	Mahasamund
3.	Shri Yashwant Kumar Sarthi, Judicial Magistrate First Class.	Mahasamund	Mahasamund

By order of the High Court,
R. S. SHARMA, Registrar (Vigilance).

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2007

क्रमांक/655/जेओटीआई/2007.—श्री जी. मिन्हाजुद्दीन, निदेशक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 तक के खण्ड अवधि के लिए उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2007 से प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.